राइजिंग इन्दौर

सच का सारथी

इंदौर, बुधवार, 2 सितंबर 2026

वर्ष -13, अंक-35, पेज- 8, मूल्य 2 रूपए

जुड़िए हमसे... @risingindore.news www.risingindore.com और +91-731-4032200 पर

Inside
page 07

भाजपा कांग्रेस के निशाने पर जेन जी

बीजेपी समझ गई Gen Z की भाषा! भाषण कम, Reels और शॉर्ट वीडियो पर जोर

2028 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए दोनों दल साधने में लगे

युवाओं के दम पर ही होना है चुनाव की सत्ता का फैसला

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

मध्यप्रदेश की सियासत में अब Gen Z यानी नई युवा पीढ़ी बड़ा राजनीतिक फैक्टर बनती नजर आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। फर्क सिर्फ तरीका है- बीजेपी डिजिटल प्लेटफॉर्म और शॉर्ट वीडियो के जरिए युवाओं तक पहुंच बनाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस सीधे छात्रों के बीच जाकर संवाद का रास्ता अपना रही है। ओरछा में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी युवाओं तक संगठन की पहुंच बढ़ाने और सोशल मीडिया के जरिए नई पीढ़ी को जोड़ने पर जोर दिए जाने की चर्चा सामने आई है। पार्टी अब पारंपरिक राजनीतिक प्रचार से आगे बढ़कर Reels, शॉर्ट वीडियो और डिजिटल कंटेंट को युवाओं तक पहुंचने का बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में है।

अब सोशल मीडिया की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण होती दिखाई दे रही है। पार्टी का फोकस खासतौर पर उन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, जहां युवा अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। Reels, शॉर्ट वीडियो और डिजिटल कंटेंट के जरिए सरकार की योजनाओं, संगठन की गतिविधियों और राजनीतिक संदेशों को युवाओं तक पहुंचाने की तैयारी है। सियासी तौर पर देखें तो बीजेपी की कोशिश सिर्फ युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की नहीं, बल्कि Gen Z के डिजिटल स्पेस में अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की है। यानी जिस पीढ़ी तक पारंपरिक पोस्टर, भाषण और रैलियों की पहुंच सीमित है, वहां अब बीजेपी मोबाइल स्क्रीन के जरिए दस्तक देने की तैयारी में है। इसके साथ ही भाजपा ने अपने नेताओं को हिदायत दी है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिविटीज को बढ़ाएं सरकारी योजनाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालना है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का प्रयास करना है ताकि Gen Z को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके।

कांग्रेस का सीधा दांव- छात्रों के बीच राहुल गांधी का संवाद

वहीं कांग्रेस ने युवाओं को साधने के लिए डिजिटल रणनीति के साथ-साथ सीधे छात्रों के बीच संवाद का रास्ता चुना है। 12 सितंबर को राहुल गांधी के इंदौर दौरे के दौरान 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे और उनके मुद्दों को सुनने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की रणनीति में बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दे प्रमुख हो सकते हैं। यानी कांग्रेस का संदेश साफ है कि युवा सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि सरकार और व्यवस्था से सवाल करने वाला वर्ग है।

रोजगार से शिक्षा तर्क कांग्रेस युवाओं के असंतोष को राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में

कांग्रेस युवाओं के बीच बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। पार्टी की कोशिश है कि प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार के अवसर, शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर छात्रों और युवाओं से सीधे बातचीत की जाए। राहुल गांधी का इंदौर में छात्रों से संवाद इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस इस संवाद को सिर्फ एक कार्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय युवा मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे में बदलने के प्रयास के तौर पर आगे बढ़ा सकती है।

Gen Z क्यों बन गई मजबूरी?

राजनीतिक दलों की इस नई रणनीति के पीछे एक बड़ा कारण है- Gen Z की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और डिजिटल सक्रियता। यह वह पीढ़ी है, जो राजनीतिक भाषणों से ज्यादा सोशल मीडिया पर नैरेटिव देखती है, सवाल पूछती है और किसी भी मुद्दे पर कुछ ही समय में अपनी राय बना सकती है। हाल के वर्षों में युवाओं के नेतृत्व में सोशल मीडिया आधारित आंदोलनों और अभियानों ने राजनीतिक दलों को यह संकेत दिया है कि नई पीढ़ी को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं है। इसीलिए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां Gen Z को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी हैं।

एक का हथियार रील्स, दूसरे का 'डायलॉग'! मुकाबला दिलचस्प

बीजेपी की रणनीति है कि युवा जहां हैं, वहीं पहुंचो और कांग्रेस की रणनीति है- युवा क्या सोच रहा है, उसके बीच जाकर सुनो। एक तरफ बीजेपी सोशल मीडिया, Reels और शॉर्ट वीडियो के जरिए युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस छात्रों के बीच संवाद और उनके मुद्दों को राजनीतिक मंच देने की तैयारी में है। यह बदलाव सिर्फ प्रचार की तकनीक का बदलाव नहीं है, बल्कि मध्यप्रदेश की राजनीति में युवा वोट बैंक के महत्व बढ़ने का संकेत भी है।

राइजिंग इंदौर अब www.risingindore.com और MAGZTER.com पर डिजिटल रूप में भी उपलब्ध...

कार्बन एमिशन फ्री होगा खजराना गणेश मंदिर

लाखों का बिजली बिल बचाने के लिए सौर ऊर्जा से होगा अपग्रेड

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर। प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर अब विद्युत प्रयोग के लिहाज से पूरी तरह आत्मनिर्भर मंदिर होगा जहां सूर्य की रोशनी और रूफटॉप पैनल के जरिए होने वाले बिजली उत्पादन से मंदिर दिन-रात जगमग रहेगा। खजराना गणेश मंदिर जीरो वेस्ट मंदिर होने के साथ अब कार्बन एमिशन फ्री मंदिर होगा।

कार्बन एमिशन फ्री होगा खजराना मंदिर

खजराना गणेश मंदिर को पूरी तरह बिजली के लिहाज से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सौर ऊर्जा से अपग्रेड किया जा रहा है। हाल ही में मंदिर समिति द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक यहां पूर्व में लगाए गए सोलर प्लांट को और अधिक

अपग्रेड किया जाएगा, जिससे कि हर महीने बिजली के उपयोग की जाने वाली राशि की बचत की जा सके।

बिजली के लिहाज से आत्मनिर्भर होगा खजराना मंदिर

मंदिर प्रबंध समिति के प्रमुख और इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के मुताबिक, मंदिर पहले से जीरो वेस्ट है लेकिन पूरे परिसर में उपयोग की जाने वाली बिजली से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए अब मंदिर में रूफटॉप प्लांट की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि बिजली के लिहाज से मंदिर पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सकेगा।

हर माह आता है 2 से ढाई लाख बिजली का बिल

वर्तमान में खजराना गणेश मंदिर परिसर के अलावा भोजनालय में जलापूर्ति के लिए लगाए गए आरओ प्लांट और अन्य उपयोग में जो बिजली खर्च होती है, उसका मासिक बिजली बिल तकरीबन 2 लाख से ढाई लाख रुपए आता है। इस बिलिंग को कम करने के लिए 2022 में ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मंदिर परिसर की छत पर 55 लाख रुपए की लागत से 150 किलोवॉट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया था। जिसके जरिए फिलहाल करीब 14000 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है, जिसके चलते मंदिर के कुल बिजली बिल में से हर महीने तकरीबन 90000 रुपए की बचत होती है।

नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने बताया, अब मंदिर की प्रबंध समिति ने बिजली के लिहाज से मंदिर को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुराने प्लांट की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया है। जिससे कि अतिरिक्त सोलर पैनल लगाए जाने पर बिजली के बल की लागत को शून्य किया जा सके।

मंदिर पहले से है जीरो वेस्ट

खजराना मंदिर को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से जीरो वेस्ट किया गया है। जहां सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके अलावा मंदिर से निकलने वाले हार फूल और अन्य सामग्री का पर्यावरण हितैषी प्रबंधन होता है। यहां भी गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करके उससे खाद और धूपबत्ती का निर्माण किया जा रहा है, वहीं फूलों से कंपोज यूनिट में जैविक कचरे से उच्च कोटि की खाद बनाई जा रही है। जिसका उपयोग नगर निगम प्लांटेशन अभियान में करता है।

आईडीए ने 100 करोड़ के चार प्लाट का टेंडर निकाला

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा 100 करोड रुपए कीमत के चार प्लाट का टेंडर निकाला गया है। स्टैंडर्ड में ऑफर सबमिट करने के बाद 3 घंटे का ई ऑक्शन भी होगा। गणेश चतुर्थी की बेला में प्राधिकरण के द्वारा निकाले गए इस टेंडर को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ऑफर सबमिट करने के बाद होगा 3 घंटे का ई-ऑक्शन

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा योजना क्रमांक 141 में आवासीय सह वाणिज्यिक प्लाट को आवंटन के लिए निकल गया है। इस प्लाट का क्षेत्रफल 3220.72 वर्ग मीटर है। प्राधिकरण के द्वारा इस प्लाट के लिए न्यूनतम दर रु. 200000 प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। इस भूखंड के लिए 21 सितंबर को शाम 6.00 बजे तक टेंडर जमा किए जा सकेंगे। इन टेंडर का तकनीकी मूल्यांकन 30 सितंबर को किया जाएगा। इसके बाद 13 अक्टूबर को इस प्लाट के लिए सुबह 11.30 से 2.30 बजे तक ऑनलाइन नीलामी होगी। प्राधिकरण के द्वारा तय की गई न्यूनतम कीमत के हिसाब से इस प्लाट की कीमत 64.14 करोड़ रुपए होती है।

प्राधिकरण के द्वारा योजना क्रमांक 51 में डिस्पेंसरी के उपयोग के प्लाट को आवंटन के लिए रखा गया है। इसके लिए जारी किए गए टेंडर में बताया गया है कि इस प्लाट का क्षेत्रफल 1017 स्क्वायर मीटर है। इसके लिए प्राधिकरण के द्वारा 43000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की न्यूनतम दर निर्धारित की गई है। प्राधिकरण की न्यूनतम दर के अनुसार इस भूखंड की कीमत 4.37 करोड रुपए होती है। इस भूखंड के लिए ऑनलाइन नीलामी 12 अक्टूबर को होगी। भूखंड के लिए टेंडर फॉर्म विक्रय शुरू हो गया है जो की 21 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। भरे गए टेंडर फॉर्म का तकनीकी मूल्यांकन 30 सितंबर को होगा।

प्राधिकरण के द्वारा योजना क्रमांक 97 पार्ट 4 में स्कूल के लिए आरक्षित भूखंड को आवंटन के लिए जारी किया गया है। इस भूखंड का क्षेत्रफल 3873.445 वर्ग मीटर है। प्राधिकरण के द्वारा यहां पर 35500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित की गई है। इस हिसाब से यह भूखंड 17.07 करोड रुपए का होता है।

प्राधिकरण की ओर से सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में भी एक भूखंड को आवंटन के लिए जारी किया गया है। प्राधिकरण की योजना क्रमांक 151, 169b के अंतर्गत आने वाले इस भूखंड का क्षेत्रफल 2627 वर्ग मीटर का है। प्राधिकरण के द्वारा यहां पर 65000 रुपए प्रति वर्ग मीटर का न्यूनतम रेट रखा गया है। यह भूखंड 30 मीटर चौड़ी सड़क पर जिसे मेजर रोड कहा जाता है वहां कॉर्नर का भूखंड है। इस भूखंड के लिए प्राप्त होने वाले टेंडर का तकनीकी मूल्यांकन 24 सितंबर को होगा। इस भूखंड के लिए टेंडर जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। इस भूखंड के टेंडर का तकनीकी मूल्यांकन 24 सितंबर को होगा। इस टेंडर के लिए ऑनलाइन ऑक्शन गांधी जयंती से एक दिन पहले 1 अक्टूबर को किया जाएगा।

अगले महीने तक तैयार हो जाएगी मूसाखेड़ी ब्रिज की एक लेन

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

मूसाखेड़ी ब्रिज के निर्माण की धीमी रफ्तार से वाहन चालकों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मार्च में पूरा होने वाला ब्रिज अब अक्टूबर तक एक लेन के लिए तैयार होने की उम्मीद है, जबकि दोनों लेन शुरू होने में नए साल तक का समय लग सकता है।

मूसाखेड़ी ब्रिज के निर्माण की धीमी रफ्तार ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी है। जून माह तक ब्रिज पूरा बन जाना था, लेकिन अगस्त माह तक एक लेन पर लोहे का स्ट्रक्चर रख दिया गया है। अब उस पर स्लैब डालने का काम शुरू होगा। अक्टूबर माह तक ब्रिज की एक लेन तैयार हो जाएगी। दोनों लेन शुरू होने के लिए नए साल तक इंतजार करना पड़ सकता है।

ब्रिज मार्च माह तक पूरा होना था, लेकिन लगातार इस ब्रिज का काम पिछड़ता चला गया और कलेक्टर शिवम वर्मा ने इसकी समयसीमा जून माह तय की, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। अब काम में तेजी आ रही है। ब्रिज की एक लेन पर लोहे का स्ट्रक्चर लॉन्च हो गया है। अब उस पर स्लैब डालने का काम शुरू होगा। इस ब्रिज का निर्माण मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा 67 करोड़ रुपये में किया जा रहा है। इस ब्रिज की लंबाई 800 मीटर है, जबकि ब्रिज छह लेन चौड़ा है। अतिक्रमण और बाधक निर्माण समय पर नहीं हट पाने की वजह से ब्रिज निर्माण में लगातार देरी होती गई।

मिलेगी तीन ब्रिजों की सौगात

इंदौर में सत्यसाईं चौराहा, निरंजनपुर, रेतमंडी और मूसाखेड़ी ब्रिजों का निर्माण 70 से 80 प्रतिशत तक हो चुका है। रेतमंडी ब्रिज की एक भुजा ट्रैफिक के लिए खोली जा चुकी है। जनवरी माह तक चारों ब्रिज निर्माण की अंतिम स्थिति में होंगे। जल्दी ही ब्रिजों की सौगात शहरवासियों को मिलेगी। इस मार्ग का ट्रैफिक सर्विस रोड पर डायवर्ट किया गया है, लेकिन सर्विस रोड की हालत काफी खराब हो चुकी है। कई बार ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन जाती है। रोड पर आधा से एक फीट के गड्ढे हो चुके हैं। ट्रैफिक का ज्यादा दबाव होने के कारण सर्विस रोड की मरम्मत भी नहीं हो पा रही है।

26 साल में पांच 26 तारीखों पर खूब हुई तबाही

ये है 5 विनाश

- भूकंप ने गुजरात को हिलाया
- सुनामी की सबसे डरावनी लहरें तमिलनाडु ने देखी
- भीषण बाढ़ से थमी मायानगरी
- मुंबई की ताज पर सबसे बड़ा आंतकी हमला
- पड़ोसी देश नेपाल विनाशकारी बाढ़ की चपेट में

राइजिंग इन्दौर
■ विपीन नीमा

26 जनवरी 2001
26 दिसंबर 2004
26 जुलाई 2005
26 नवंबर 2008
26 अगस्त 2026

की तारीखे कोई साधारण दिनों की तारीखे नहीं है बल्कि ये वे काली तारीखे है, जिन्होंने पलभर में ही हजारों बेकसूर लोगों का जीवन तबाह कर दिया। इन तिथियों पर आई मुसीबतों से लोगों के घर उजड़ गए, उनकी जीवन लीलाएं समाप्त हो गईं, परिवार के परिवार उजड़ गए, हजारों लोग घर से बेघर हो गए। लोगों के धंधे चौपट हो गए, जो परिवार इन तारीखों के शिकार बने हैं, वे इन काले दिवस वाले दिन को कभी नहीं भूलेंगे। 26 तारीख... सिर्फ एक तारीख है या कुछ और क्योंकि जब-जब कैलेंडर में 26 आया, कभी भूकंप ने गुजरात हिलाया, कभी मुंबई बाढ़

क्या क्या हानि हुई

■ हजारों लोगों की जाने गईं ■ लोग घर से बेघर हो गए
■ हजारों लोग लापता हो गए ■ छोटे बड़े धंधे चौपट हो गए

2001 से 2026 तक 26 तारीख को कहां क्या हुआ था देखें

में डूबा, कभी 26/11 ने देश को दहला दिया, और कभी इंडियन ओसियन में सुनामी ने तबाही मचा दी। अभी इसी माह की 26 तारीख को ही पड़ोसी देश नेपाल में हाल ही में भोटेकोशी और त्रिशुली नदियों में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मची है। इन बड़ी बड़ी घटनाओं ने 26 तारीख को खतरनाक तारीख बना दी है।

गुजरात -विनाशकारी भूकंप से हजारों लोगों की हुई मौत

26 जनवरी 2001 को सुबह 8.46 बजे गुजरात के कच्छ (भुज) क्षेत्र में 7.7 तीव्रता का एक विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें 13,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और लाखों इमारतें नष्ट हो गईं। लगभग 4 लाख से अधिक घर नष्ट हो गए थे और करोड़ों लोग बेघर हो गए थे। भुज और अंजार शहर में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई थी।

सुनामी के कारण भारत में हजारों लोग मारे गए थे

गूगल से ली गई जानकारी के मुताबिक 26 दिसंबर 2004 को आई हिंद महासागर की सुनामी के कारण भारत में आधिकारिक तौर पर लगभग 10,749 लोग मारे गए थे और हजारों लोग लापता हो गए थे। सबसे अधिक प्रभाव तमिलनाडु में देखा गया, जहां नागापट्टनम जिले में सबसे ज्यादा मौतें हुईं। तमिलनाडु के अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और केरल के तटीय इलाके भी इस आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए। इस आपदा से भारत सहित कुल 14-15 देशों में कुल मिलाकर 2.25 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी।

विनाशकारी और भयानक बाढ़ से थम गई थी मुंबई

26 जुलाई 2005 को मुंबई में इतिहास की सबसे विनाशकारी और भयानक बाढ़ आई थी। इस दिन महाराष्ट्र में कुल 944 मिमी. (37.17 इंच) बारिश हुई। देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्से बारिश के इस सितम का शिकार हुए। जो जहां था वहीं थम गया, जिसने कुदरत के इस कहर से मुकाबला करने की कोशिश की, उसे मौत ने लील लिया। लोग कई दिनों तक अपने घरों, दफ्तरों, फैक्टरियों और रेलवे स्टेशनों पर फंसे रहे। राज्य को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वर्षा जनित घटनाओं में एक हजार से ज्यादा लोगों की जान गई और इस तेज रफ्तार महानगर को दोबारा अपनी चाल पर वापस लौटने में कई हफ्ते लगे।

भारत के इतिहास का सबसे भयानक और बड़ा आतंकी हमला

26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ 26/11 आतंकी हमला भारत के इतिहास का सबसे भयानक और बड़ा आतंकवादी हमला था। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी थे। ये आतंकवादी समुद्र के रास्ते से मुंबई पहुंचे थे। इनके निशाने पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (CST), ताज महल पैलेस होटल, ट्राइडेंट होटल, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और नरिमन हाउस थे। इस हमले में 166 निर्दोष लोगों की जान गई थी और 300 से ज्यादा घायल हुए थे। इसमें कई पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के जवान भी शहीद हुए थे।

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद तबाही का मंजर जारी

नेपाल में 26 अगस्त 2026 को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद तबाही का मंजर अब भी जारी है। इस त्रासदी में अब तक 768 लोगों की मौत हो चुकी है। तिब्बत की ओर से अचानक आई भीषण बाढ़ ने नेपाल के रसुवा जिले में भारी तबाही मचाई है। लेन्दे खोला (भोटेकोशी नदी) में अचानक आई बाढ़ से टिमुरे बाजार और रसुवा सीमा नाके के कस्टम क्षेत्र को व्यापक नुकसान पहुंचा है। बड़ी संख्या में वाहन और अन्य सामान बाढ़ के तेज बहाव में बह गए हैं। कई जलविद्युत परियोजनाओं और बस्तियों को भी नुकसान हुआ है।

कई बड़े लोगों को हनी ट्रेप में फंसाने की थी तैयारी

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

जेल से छूटने के बाद फिर से खड़ा कर लिया था अपना गैंग

शराब कारोबारी को हनीट्रैप में फंसाने वाली गैंग की सरगना श्वेता जैन निकली, जो पहले भी हनीट्रैप मामले में जेल जा चुकी है। जेल से छूटने के बाद श्वेता ने दोबारा महिलाओं को अपने साथ जोड़ा और हनीट्रैप का संगठित गिरोह खड़ा कर लिया।

शराब कारोबारी को हनीट्रैप में फंसाने वाली गैंग की सरगना श्वेता जैन है, जो पूर्व में हनीट्रैप मामले में जेल जा चुकी है। श्वेता ने जेल से छूटने के बाद फिर महिलाओं को जोड़ा और हनीट्रैप के लिए गैंग बनाई। इसमें इंदौर और उज्जैन के कई अमीर लोग, शराब ठेकेदार और कारोबारी टारगेट पर थे। यह खुलासा पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए गए पूरक चालान में हुआ। हनीट्रैप गैंग ने सबसे पहले शराब कारोबार से जुड़ी अलका दीक्षित को जोड़ा, फिर रेशू नामक युवती को जोड़कर संगठित गिरोह की तरह काम करना शुरू कर दिया। श्वेता लोगों को फंसाने के लिए रेशू को आगे करती थी। वह स्पाई कैमरों से आपत्तिजनक अवस्था के वीडियो बना लेती थी। फिर अलका के जरिए हनीट्रैप में फंसे लोगों से सौदेबाजी करती थी।

शराब ठेकेदार चिंटू ठाकुर की शिकायत के बाद पुलिस ने 18 मई को छापे मारकर रैकेट के तीनों सदस्यों को पकड़ा था। श्वेता के सागर स्थित घर पर छापा मारकर पुलिस ने 9 मोबाइल फोन, कैमरे, मेमोरी कार्ड, पेन और बटन कैमरे जब्त किए थे। इन उपकरणों का इस्तेमाल हनीट्रैप के लिए किया जाता था।

छह सौ पेज के चालान में पुलिस ने एक पुलिसकर्मी को भी आरोपी बनाया है, जो महिलाओं का साथ देता था। प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा के मोबाइल में भी कई आपत्तिजनक वीडियो मिले। उन वीडियो के जरिए अलका ठाकुर को धमका रही थी। पुलिस ने उसका मोबाइल भी जब्त किया है।

संपादकीय...

राहुल के कार्यक्रम से सरकार परेशान

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इंदौर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर हलचल तेज हो रही है। छात्रों की गूंज अभियान के दूसरे चरण में इंदौर आकर राहुल यहां के विद्यार्थियों से बातचीत करना चाहते हैं। यह देश का पहला ऐसा शहर है जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों है। ऐसे में इस शहर में युवा और छात्रों की उपस्थिति की स्थिति किसी भी हालत में कोटा जैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की राजधानी वाले शहर से कम नहीं हो सकती है। इंदौर में होने जा रहे इस

■ गौरव गुप्ता

आयोजन को लेकर जहां कांग्रेस उत्साह में हैं तो वहीं भाजपा तनाव में है। कांग्रेस के द्वारा इस कार्यक्रम के लिए नेहरू स्टेडियम की मांग की गई लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए स्टेडियम नहीं देने की तैयारी कर ली गई है। ऐसे में अब राजीव गांधी प्रतिमा चौराहा के पास में स्थित बड़े खुले मैदान में इस कार्यक्रम को करने की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस को इस कार्यक्रम से ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद है तो भाजपा इस कार्यक्रम को फेल होते हुए देखना चाहती है।

50 वर्ष की आयु के बाद मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन

मैग्नीशियम, पोटैशियम, जिंक जैसे 6 आवश्यक पोषक तत्व आवश्यक है

डॉ. आरती मेहरा ने बताया की जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, सभी आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार मांसपेशियों की ताकत और कार्यक्षमता को बनाए रखने में योगदान देगा।

मांसपेशियों के विकास के लिए प्रोटीन अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ-साथ पर्याप्त प्रोटीन का सेवन करना ही पर्याप्त नहीं है। मध्यम आयु और उससे अधिक उम्र में, मांसपेशियों का द्रव्यमान कम होने लगता है, खासकर शारीरिक गतिविधि में कमी, अपर्याप्त पोषण या दीर्घकालिक बीमारियों के कारण। इसलिए, केवल अधिक अंडे खाने, दूध पीने या प्रोटीन का सेवन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना मांसपेशियों को बनाए रखने की संपूर्ण रणनीति नहीं है।

सामग्री

- विटामिन डी मांसपेशियों के कार्य में सहायक होता है।
- मैग्नीशियम मांसपेशियों के कार्य में शामिल होता है।
- सामान्य मांसपेशी संकुचन के लिए पोटेशियम आवश्यक है।
- जस्ता प्रोटीन संश्लेषण और ऊतक मरम्मत में शामिल होता है।
- ओमेगा-3 मांसपेशियों के स्वास्थ्य में सहायक होते हैं।
- स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं।
- पोषण और व्यायाम का संयोजन आवश्यक है। पर्याप्त प्रोटीन, ऊर्जा, विटामिन और खनिज प्रदान करने वाला संतुलित आहार बनाना महत्वपूर्ण है, साथ ही शारीरिक गतिविधि, विशेष रूप से शक्ति प्रशिक्षण व्यायामों को भी शामिल करना चाहिए।

मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ निम्नलिखित हैं-

विटामिन डी मांसपेशियों के कार्य में सहायक होता है – विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण और हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, यह विटामिन मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज में भी शामिल होता है। विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी और चलने-फिरने की क्षमता में कमी आ सकती है।

विटामिन डी के खाद्य स्रोतों में सैल्मन और मैकेरल जैसी वसायुक्त मछली, कॉड लिवर ऑयल, अंडे की जर्दी और विटामिन डी से युक्त कुछ उत्पाद शामिल है।

मशरूम विटामिन डी – फोर्टिफाइड फूड्स – दूध, दही, संतरे का जूस और सोया मिल्क जैसे फोर्टिफाइड

ध्यान दें – भोजन के अलावा, सुबह की हल्की धूप विटामिन डी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है।

डॉ. आरती मेहरा
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ
7999788456

मैग्नीशियम मांसपेशियों के कार्य में शामिल होता है- मैग्नीशियम एक खनिज है जो ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण और तंत्रिका-मांसपेशी कार्यों के नियमन सहित सैकड़ों जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में शामिल होता है। मैग्नीशियम की कमी से थकान, मांसपेशियों में कमजोरी और गंभीर मामलों में मांसपेशियों में ऐंठन या मरोड़ हो सकती है। मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों में मेवे, फलियां, साबुत अनाज और पत्तेदार हरी सब्जियां शामिल हैं।

सामान्य मांसपेशी संकुचन के लिए पोटेशियम आवश्यक है- पोटेशियम तंत्रिका संचरण और मांसपेशियों के संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब रक्त में पोटेशियम का स्तर बहुत कम हो जाता है, तो रोगियों को थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, यहां तक कि लकवा या गंभीर मामलों में हृदय गति में गड़बड़ी का अनुभव हो सकता है। पोटेशियम प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों में केले, आलू, शकरकंद, बीन्स, हरी सब्जियां और कई प्रकार के फल शामिल हैं। गुर्दे की बीमारी वाले लोगों या पोटेशियम को प्रभावित करने वाली दवाएँ लेने वाले लोगों को पोटेशियम सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।

जस्ता प्रोटीन संश्लेषण और ऊतक मरम्मत में शामिल होता है – जस्ता एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए संश्लेषण, कोशिका विभाजन और ऊतक मरम्मत जैसी कई एंजाइमों और प्रक्रियाओं की गतिविधि में शामिल होता है। मांस, समुद्री भोजन, अंडे, दूध, फलियां, मेवे और साबुत अनाज सभी जस्ता के स्रोत हो सकते हैं। लंबे समय तक उच्च मात्रा में इसका सेवन हानिकारक हो सकता है, जिससे शरीर में तांबे के स्तर पर भी असर पड़ सकता है।

ओमेगा-3 मांसपेशियों के स्वास्थ्य में सहायक होते हैं- ओमेगा-3 फैटी एसिड, विशेष रूप से EPA और DHA, जो वसायुक्त मछली में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ओमेगा-3 मांसपेशियों की मजबूती के लिए कुछ लाभ प्रदान कर सकते हैं, कि ओमेगा-3 मांसपेशियों के क्षय को रोकने में सहायक होते हैं। सैल्मन, मैकेरल, हेरिंग और सार्डिन जैसी वसायुक्त मछलियां EPA और DHA के अच्छे स्रोत हैं।

स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं- मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट को आहार से पूरी तरह से नहीं हटाना चाहिए। ये शरीर और शारीरिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जब ऊर्जा का सेवन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो शरीर प्रोटीन सहित अन्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकता है। भूरे चावल, जई, मक्का, आलू, फलियां और साबुत अनाज जैसे फाइबर युक्त कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- कम कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ
- प्रोटीन - अंडे, मछली, चिकन, पनीर और दालें।
- सब्जियां - पालक, ब्रोकली, फूलगोभी, शिमला मिर्च और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां (गैर-स्टार्च वाली)।
- स्वस्थ वसा- बादाम, अखरोट, चिया बीज, जैतून का तेल और एवोकैडो
- क्या न खाएं *(किसे सीमित करें)चीनी, मैदा, सफेद ब्रेड और चावल। मीठे पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड।

प्रोटीन – मांसपेशियों के ऊतकों के रखरखाव और संश्लेषण के लिए सीधे अमीनो एसिड की आपूर्ति करने वाले पोषक तत्वों में प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि, प्रोटीन की उचित मात्रा हर व्यक्ति में अलग-अलग होती है।

यूरोपियन न्यूट्रिशन के अनुसार, स्वस्थ वृद्ध वयस्कों के लिए, कई विशेषज्ञ समूह लगभग 1-1.2 ग्राम/किलोग्राम/दिन की अनुशंसा करते हैं।

- **शाकाहारी स्रोत**- सोया चंक्स - लगभग 52 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम
- **पनीर** – लगभग 18 से 20 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम।
- **दालें और चने** – लगभग 20 से 24 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम

मांसाहारी स्रोत

- **चिकन ब्रेस्ट** – लगभग 31ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम
- **मछली (Tuna)**- लगभग 30 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम।

अंडा – एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है।

इसलिए, अंडे और डेयरी उत्पादों के बजाय, प्रोटीन को मछली, कम वसा वाले मांस, अंडे, दूध, टोफू और फलियों जैसे कई स्रोतों से प्राप्त किया जाना चाहिए, साथ ही सब्जियों, फलों, स्वस्थ वसा और फाइबर युक्त कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलाकर सेवन करना चाहिए

पोषण और व्यायाम

पोषण और व्यायाम साथ-साथ चलने चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) वयस्कों को सप्ताह में कम से कम दो दिन प्रमुख मांसपेशी समूहों को मजबूत करने वाली गतिविधियों में शामिल होने की सलाह देता है। 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को गतिशीलता बनाए रखने और गिरने के जोखिम को कम करने के लिए शक्ति और संतुलन पर केंद्रित अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करना चाहिए।

व्यायाम – व्यायाम के विकल्पों में स्क्वैट्स, सिट-अप्स, रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज या हल्के वज़न का इस्तेमाल शामिल हैं, जो आपकी फिटनेस के स्तर पर निर्भर करता है। जो लोग कम सक्रिय हैं, उन्हें उपयुक्त तीव्रता से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे-धीरे तीव्रता बढ़ानी चाहिए।

वसीयत की वैधता और संदिग्ध परिस्थितियों का निराकरण : सुप्रीम कोर्ट

भारतीय उत्तराधिकार कानून में वसीयत एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार सामान्यतः विधि द्वारा निर्धारित होता है, किंतु यदि मृतक ने अपने जीवनकाल में विधिवत वसीयत निष्पादित की है, तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार उस वसीयत के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। यही कारण है कि न्यायालयों के समक्ष वसीयत से संबंधित विवादों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि प्रस्तुत वसीयत वास्तव में वसीयतकर्ता द्वारा स्वतंत्र इच्छा, स्वस्थ मानसिक स्थिति और बिना किसी अनुचित प्रभाव के निष्पादित की गई थी अथवा नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने लीला एवं अन्य बनाम मुरुगानन्थम एवं अन्य, सिविल अपील क्रमांक 7578/2023, निर्णय दिनांक 2 जनवरी 2025 में वसीयत के प्रमाण और उससे जुड़ी संदिग्ध परिस्थितियों के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पुनः स्पष्ट किया है।

यह निर्णय विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि केवल इस कारण कि वसीयत को कानून में निर्धारित तरीके से निष्पादित किया गया है और उसके निष्पादन के संबंध में आवश्यक गवाहों की परीक्षा हो गई है, मात्र उसी आधार पर वसीयत को स्वतः वास्तविक और विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। यदि वसीयत के आसपास ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हों जो उसके वास्तविक निष्पादन पर उचित संदेह उत्पन्न करती हों, तो वसीयत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अर्थात् वसीयत के लाभार्थी पर उन परिस्थितियों को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट करने का दायित्व रहता है।

इस मामले की संपत्ति मूल रूप से बालासुब्रमणिया तन्थिरियार की थी। उनका विवाह दो महिलाओं से हुआ था। पहली पत्नी राजम्मल से उनके तीन पुत्र और एक पुत्री थी। बाद में लीला के साथ विवाह हुआ और उससे भी दो पुत्र हुए। इसी पारिवारिक परिस्थिति के कारण मृत्यु के बाद संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ।

बालासुब्रमणिया ने पहले अपनी पहली पत्नी तथा उससे उत्पन्न संतानों के साथ संपत्ति संबंधी विवाद में समझौता किया था। दिनांक 4 दिसंबर 1989 को एक विभाजन विलेख निष्पादित किया गया, जिसके द्वारा संपत्तियों को विभिन्न अनुसूचियों में विभाजित किया गया। एक हिस्सा स्वयं बालासुब्रमणिया के पास रहा, जबकि अन्य संपत्तियाँ उनकी पहली पत्नी और उससे उत्पन्न संतानों को दी गईं।

इसके पश्चात बालासुब्रमणिया की मृत्यु 28 नवंबर 1991 को हुई। उनकी मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी लीला और उसके पुत्रों ने एक वसीयत के आधार पर संपत्ति पर अधिकार का दावा किया। यह वसीयत दिनांक 6 अप्रैल 1990 की बताई गई थी।

पहली पत्नी तथा उसके बच्चों ने इस वसीयत की वास्तविकता पर प्रश्न उठाया और संपत्ति में अपने हिस्से का दावा किया।

मामले में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या 6 अप्रैल 1990 की वसीयत वास्तविक एवं विश्वसनीय थी और क्या उसके आधार पर दूसरी पत्नी तथा उसके पुत्रों को संपत्ति का अधिकार दिया जा सकता था।

वसीयत के पक्ष में यह तर्क दिया गया कि वसीयत विधिवत निष्पादित हुई थी तथा उसमें दो गवाहों ने हस्ताक्षर किए थे। इसलिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 की आवश्यकताओं का पालन हुआ था।

लेकिन दूसरी ओर यह तर्क दिया गया कि वसीयत के निष्पादन के आसपास कई ऐसी परिस्थितियां थीं जो उसके वास्तविक और स्वतंत्र निष्पादन पर संदेह उत्पन्न करती थीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने इसी प्रश्न पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि क्या वसीयत के निष्पादन के संबंध में उपस्थित संदिग्ध परिस्थितियों का पर्याप्त रूप से निराकरण किया गया था।

वसीयत के संबंध में सामान्य नियम यह है कि जो व्यक्ति वसीयत के आधार पर संपत्ति का लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसी पर प्रारंभिक दायित्व होता है कि वह वसीयत का विधिवत निष्पादन सिद्ध करे।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 वसीयत के निष्पादन की आवश्यकताओं से संबंधित है। सामान्यतः वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर तथा दो या अधिक गवाहों द्वारा उसका सत्यापन आवश्यक होता है।

इसके अतिरिक्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार, जहां कानूनन किसी दस्तावेज के निष्पादन को गवाह के माध्यम से सिद्ध करना आवश्यक है, वहां कम से कम एक सत्यापनकर्ता गवाह की परीक्षा आवश्यक होती है, यदि वह जीवित और न्यायालय में उपस्थित होने में सक्षम हो।

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया।

वसीयत का निष्पादन सिद्ध होना और वसीयत का वास्तविक तथा विश्वसनीय होना दो अलग-अलग बातें हैं।

अर्थात् यदि धारा 63 की औपचारिक आवश्यकताओं तथा साक्ष्य कानून की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया गया है, तो इससे केवल वसीयत के निष्पादन का एक प्रारंभिक आधार स्थापित होता है। यदि वसीयत के संबंध में गंभीर संदिग्ध परिस्थितियां सामने आती हैं, तो उन परिस्थितियों को दूर करना भी आवश्यक है।

संजय मेहरा
हाईकोर्ट एडवोकेट
98270 74132

वसीयत से संबंधित मुकदमों में संदिग्ध परिस्थितियां अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

संदिग्ध परिस्थिति का अर्थ केवल यह नहीं है कि परिवार के किसी सदस्य को वसीयत पसंद नहीं है। किसी व्यक्ति का वसीयत से असंतुष्ट होना अपने आप में वसीयत को संदिग्ध नहीं बना देता।

लेकिन यदि वसीयत के निष्पादन की परिस्थितियां ऐसी हों जिनसे सामान्य व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठे कि क्या वसीयत वास्तव में वसीयतकर्ता की स्वतंत्र इच्छा से बनी थी, तो ऐसी परिस्थितियों को न्यायालय गंभीरता से देख सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में पूर्व निर्णयों के सिद्धांतों को लागू करते हुए कहा कि जब वसीयत प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उसके विधिवत निष्पादन को सिद्ध कर देता है, तब आपत्ति करने वाले पक्ष को संदिग्ध परिस्थितियों की ओर संकेत करना होता है। लेकिन जब ऐसी संदिग्ध परिस्थितियाँ स्थापित या गंभीर रूप से सामने आ जाती हैं, तब उन्हें दूर करने का दायित्व पुनः वसीयत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति पर आ जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने उन परिस्थितियों का विश्लेषण किया जिन्हें निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने वसीयत के विरुद्ध माना था।

पहली संदिग्ध परिस्थिति - लाभार्थी की सक्रिय भूमिका

न्यायालय ने पाया कि पहली अपीलकर्ता स्वयं वसीयत की लाभार्थी थी और अन्य लाभार्थियों की माता भी थी। उसके द्वारा वसीयत के निष्पादन में सक्रिय भूमिका निभाने की परिस्थिति सामने आई।

इसके अतिरिक्त उसके द्वारा अपनी भूमिका के संबंध में न्यायालय के समक्ष स्पष्ट स्थिति नहीं रखी गई।

जब कोई व्यक्ति स्वयं वसीयत से लाभ प्राप्त करने वाला हो और साथ ही वसीयत तैयार कराने या निष्पादित कराने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता हो, तो न्यायालय स्वाभाविक रूप से उस परिस्थिति की जांच कर सकता है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि लाभार्थी की उपस्थिति मात्र से वसीयत अवैध हो जाती है। लेकिन यदि लाभार्थी की सक्रिय भूमिका के साथ अन्य परिस्थितियां भी जुड़ जाती हैं, तो वसीयत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के लिए उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना आवश्यक हो सकता है।

इस मामले में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति वसीयतकर्ता के स्वास्थ्य से संबंधित थी।

वसीयत के एक हिस्से में यह उल्लेख किया गया था कि वसीयतकर्ता पूर्ण चेतना और अच्छी स्मरण शक्ति में था तथा किसी के दबाव या प्रेरणा के बिना वसीयत कर रहा था।

लेकिन उसी वसीयत में दूसरी ओर यह भी उल्लेख था कि वह हृदय रोग से पीड़ित था और विभिन्न डॉक्टरों से उपचार करा रहा था।

इसके अतिरिक्त लाभार्थी की ओर से दिए गए साक्ष्य में भी वसीयतकर्ता की खराब स्वास्थ्य स्थिति और जीवन को खतरा होने की बात सामने आई।

सर्वोच्च न्यायालय ने इन परिस्थितियों को सामान्य परिस्थितियों की तरह नहीं देखा बल्कि वसीयत की वास्तविकता के परीक्षण के संदर्भ में उनका मूल्यांकन किया।

यदि वसीयत में वसीयतकर्ता को पूर्ण रूप से स्वस्थ, सचेत और मानसिक रूप से सक्षम बताया गया हो, लेकिन उसी समय उपलब्ध अन्य साक्ष्यों में उसके गंभीर रूप से बीमार होने की स्थिति दिखाई दे, तो न्यायालय यह देख सकता है कि वसीयत वास्तव में स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक रूप से बनाई गई थी या नहीं।

मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर से संबंधित थी।

वसीयत पर किए गए हस्ताक्षर की तुलना पूर्व के विभाजन विलेख पर किए गए हस्ताक्षर से की गई। न्यायालय के समक्ष यह परिस्थिति सामने आई कि दोनों दस्तावेजों पर हस्ताक्षरों में समानता का प्रश्न उत्पन्न हुआ।

किसी वसीयत पर हस्ताक्षर का अलग दिखाई देना अपने आप में वसीयत को जाली सिद्ध नहीं करता। उम्र, बीमारी, हाथ की स्थिति, लिखने की परिस्थिति और समय के अंतर के कारण हस्ताक्षर में परिवर्तन हो सकता है।

लेकिन जब हस्ताक्षर में अंतर के साथ अन्य संदिग्ध परिस्थितियां भी मौजूद हों, तो न्यायालय उस तथ्य को समग्र परिस्थितियों के साथ देख सकता है।

इस मामले में भी हस्ताक्षर का प्रश्न अकेला आधार नहीं था बल्कि अन्य परिस्थितियों के साथ मिलकर देखा गया।

वसीयत को किसने तैयार किया, किसके निर्देश पर तैयार किया और उसके निष्पादन की वास्तविक प्रक्रिया क्या थी—ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

इस मामले में वसीयत तैयार करने वाले लेखक या टंकक की परीक्षा नहीं कराई गई।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सामान्य परिस्थितियों में केवल लेखक या टंकक को गवाह के रूप में पेश न करना अपने आप में वसीयत के विरुद्ध निर्णायक संदिग्ध परिस्थिति नहीं है।

लेकिन इस मामले की विशेष परिस्थितियों में वसीयत के लेखक की परीक्षा न किए जाने को अन्य तथ्यों के साथ देखा गया।

अर्थात् न्यायालय ने किसी एक तकनीकी कमी को अलग करके निर्णय नहीं दिया बल्कि सभी परिस्थितियों को समग्र रूप से देखा।

वसीयत कथित रूप से मदुरै में निष्पादित हुई थी, जबकि वसीयतकर्ता का निवास स्थान टेनकासी था।

यह प्रश्न भी उठा कि वसीयतकर्ता अपने सामान्य निवास से दूर जाकर मदुरै में वसीयत क्यों कर रहा था।

इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण था कि संबंधित गवाहों और दस्तावेजों से वसीयत के स्थान के संबंध में पूरी तरह स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस परिस्थिति को भी अन्य तथ्यों के साथ जोड़कर देखा।

यह सिद्धांत व्यावहारिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। यदि कोई वृद्ध या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति अपने निवास स्थान से बहुत दूर जाकर अचानक ऐसी वसीयत करता है जिससे किसी विशेष व्यक्ति को अत्यधिक लाभ मिलता है, तो न्यायालय उस परिस्थिति के कारण और पृष्ठभूमि की जांच कर सकता है।

वसीयत के सत्यापनकर्ता गवाहों के संबंध में भी परिस्थितियां महत्वपूर्ण थीं।

यदि कोई वसीयतकर्ता अपने जीवन के अंतिम चरण में ऐसी वसीयत करता है जिसमें उसके निकटतम उत्तराधिकारियों को अलग कर किसी अन्य व्यक्ति को प्रमुख लाभ दिया जाता है, और गवाह वसीयतकर्ता के परिचित नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति की व्याख्या आवश्यक हो सकती है।

फिर भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल अपरिचित गवाह होना वसीयत को अवैध नहीं बनाता। प्रश्न यह है कि क्या ऐसी परिस्थिति अन्य संदिग्ध परिस्थितियों के साथ मिलकर वसीयत की वास्तविकता पर उचित संदेह उत्पन्न करती है।

वसीयत के मामलों में अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि वसीयत पंजीकृत है, इसलिए उसकी वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता।

मासूम बालिका से गंदी हरकत करने के आरोप से हाई कोर्ट से भी बरी

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 12 साल की बच्ची से गलत हरकत करने के प्रयास के मामले में आरोपी को बरी करने के निचली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा। कोर्ट ने मामले में कई परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना। इनमें घटना के दौरान बच्ची का शोर या चीख-पुकार नहीं करना, शरीर पर चोट के निशान नहीं मिलना, घटनास्थल की परिस्थितियां और किसी स्वतंत्र स्थानीय गवाह की जांच नहीं होना शामिल हैं। कोर्ट ने इन कमियों के आधार पर अभियोजन की कहानी को संदिग्ध माना।

कोर्ट ने कहा- बच्ची का शोर नहीं मचाना स्वाभाविक नहीं

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी बच्ची को जबरन गलत हरकत के लिए खींचकर ले जाया जा रहा था तो ऐसी स्थिति में उसके मदद के लिए चिल्लाने या शोर मचाने की स्वाभाविक संभावना थी। लेकिन मामले में घटना के दौरान किसी तरह की चीख-पुकार या शोर होने की बात सामने नहीं आई। बेंच के अनुसार, यह परिस्थिति अभियोजन की कहानी को लेकर गंभीर संदेह पैदा करती है। अभियोजन के मुताबिक आरोपी बच्ची को उसके घर के पास से खींचकर नाली की ओर ले गया था। हाई कोर्ट ने इस तथ्य को भी महत्वपूर्ण माना। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी का वास्तव में गलत हरकत करने का इरादा था तो बच्ची का घर ही अपेक्षाकृत एकांत स्थान था। इसके बजाय उसे ऐसे स्थान की ओर ले जाने की बात कही गई, जहां लोगों की आवाजाही थी। यह परिस्थिति अभियोजन की कहानी के अनुरूप नहीं लगती। इसके अलावा कोर्ट ने पाया कि आधिकारिक मौका नक्शे में उस नाली का स्थान भी स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किया गया था।

हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष किया तो चोट क्यों नहीं?

अभियोजन की कहानी के अनुसार बच्ची ने आरोपी से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि बच्ची ने वास्तव में आरोपी से बचने के लिए संघर्ष किया था तो उसके हाथ या शरीर पर घर्षण अथवा चोट के निशान मिलने की संभावना थी। हालांकि, मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर किसी तरह की चोट नहीं मिली। कोर्ट ने इस तथ्य को भी अभियोजन के खिलाफ महत्वपूर्ण परिस्थिति माना।

घनी आबादी वाले इलाके में भी स्वतंत्र गवाह नहीं

हाईकोर्ट ने यह भी गौर किया कि घटना का स्थान घनी आबादी वाला और लोगों की आवाजाही वाला क्षेत्र था। इसके बावजूद जांच अधिकारी ने किसी स्वतंत्र स्थानीय व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया। ऐसे मामले में घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों की गवाही महत्वपूर्ण हो सकती थी। स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं किया जाना भी अभियोजन के मामले की एक महत्वपूर्ण कमी है।

घटना से एक दिन पहले हुआ था दोनों परिवारों में विवाद

मामले में एक और अहम तथ्य सामने आया। घटना से एक दिन पहले बच्ची के पिता और आरोपी के पिता के बीच विवाद हुआ था। बच्ची ने अपने बयान में भी इस विवाद का जिक्र किया था। इसके बाद उसके पिता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। हाई कोर्ट ने माना कि निचली कोर्ट का यह देखना उचित था कि कहीं मौजूदा प्राथमिकी पहले से चले आ रहे पारिवारिक विवाद का परिणाम तो नहीं थी।

ओबीसी की उपेक्षित जातियां ढूंढेंगी भाजपा

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई चुनावों में जातिगत जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। हालांकि, अगले साल मार्च से केन्द्र सरकार पहाड़ी राज्यों को छोड़कर देश के तमाम प्रदेशों में जातिगत जनगणना कराने जा रही है।

केन्द्र सरकार की जनगणना के पहले ही एमपी में बीजेपी अन्य पिछड़े वर्गों में आने वाली जातियों के आंकड़े जुटाएगी। यही नहीं ओबीसी की कौन सी ऐसी जातियां हैं जिनको भाजपा के संगठन और सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिला उनका सर्वे भी कराएगी।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने ओबीसी मोर्चा के जिला प्रभारियों की नियुक्ति करके उन्हें 9 गुप्त टास्क पर रिपोर्ट बनानेका जिम्मा सौंपा है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला प्रभारियों को अगले डेढ़ से दो महीनों में यानी दीवाली के पहले ओबीसी का डेटा तैयार करने को कहा गया है। रक्षाबंधन के तुरंत बाद सभी जिला प्रभारी अपने प्रभार के जिलों में इस रणनीति पर अमल शुरू कराएंगे।

एमपी में अन्य पिछड़े वर्ग की अधिकारिक सूची में शामिल जातियों के अनुसार डेटा तैयार किया जाएगा। बीजेपी के जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष और सभी मंडलों की टीम के साथ बैठक करेंगें। मंडल पदाधिकारी और कार्यकर्ता शक्ति केन्द्र स्तर पर बैठकें करके बूथ स्तर की समितियों के साथ बैठकें करके उन्हें सर्वे फॉर्मेट देंगे। इसके बाद बूथ स्तर तक के आंकड़े इकट्ठे करके मंडलवार रिपोर्ट बनेगी। फिर इसे विधानसभा वार कंपाइल किया जाएगा।

ओबीसी सर्वे के 9 बिन्दु

1. मध्यप्रदेश की आधिकारिक ओबीसी सूची के आधार पर ओबीसी जातियों की संख्या।
2. ओबीसी में जातिवार भाजपा के वरिष्ठ-प्रमुख ओबीसी नेताओं की विवरणी।
3. ओबीसी में जातिवार नेताओं की सरकार एवं संगठन में भागीदारी की विवरणी।
4. भाजपा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला उन जातियों की विवरणी।
5. ओबीसी की म.प्र. सूची में शामिल जातियाँ जो केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं हो सकीं उनकी विवरणी।
6. ओबीसी सांसद (लोकसभा एवं राज्यसभा) विधायक की जातिवार सूची।
7. मध्यप्रदेश की ओबीसी समाज के महापुरुषों की सूची व उनकी जयंती एवं पुण्यतिथि का विवरण तैयार करना है।
8. जिला कार्यकारिणी गठन करवाना एवं मंडल कार्यकारिणी गठन करवाना एवं अन्य संगठनात्मक विषयों को लेकर जानकारी उपलब्ध कराना।
9. मध्यप्रदेश की वर्तमान चुनौती एवं आगामी चुनौती की विवरणी।

इस सप्ताह आपके सितारे
2 सितंबर 2026 से 8 सितंबर 2026

किसी की रहेगी भागदौड़, तो किसी को मिलेगा अच्छा समाचार

मेष राशि – शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है। कोई चौंकाने वाले समाचार मिल सकता है। मनचाही नौकरी के लिए अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। दूसरों से अपेक्षा न करें। पहनावे में गुलाबी रंग का प्रयोग ज्यादा करें, काम बनेंगे। धन लाभ होगा।

वृषभ राशि – व्यापार में परिश्रम अधिक और लाभ कम होगा। विरोधी सक्रिय रहेंगे, जो आप के बने बनाये कार्य बिगाड़ सकते हैं। अतः सावधान रहें। सूझ-बूझ से धनलाभ होगा। मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। निवेश व नौकरी लाभदायक रहेंगे। प्रेम-प्रसंग सफल होंगे।

मिथुन राशि – पारिवारिक कार्यों में भागदौड़ रहेगी। किंतु कार्य सफल होंगे।सफलता से आत्मसम्मान बढ़ेगा। शेयर इत्यादि से नुकसान होने की संभावना है इसलिए ध्यान से कार्य करें। संतान के कारण चिंता तथा तनाव रहेंगे। कार्यस्थल पर प्रसन्नता रहेगी। किसी से भी कटु वचन न बोलें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में सावधानी रखें।

कर्क राशि – आप जो सोचते हैं, वह करते नहीं हैं। इसलिए जो सोचें उस कार्य को अंजाम दें। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे अथवा आपके कार्य क्षेत्र में कुछ वृद्धि होगी। पुराने आर्थिक मामले सुलझ सकते हैं। शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

सिंह राशि – अपनी चिंता के कारण आप दूसरों पर अपना क्रोध न निकालें। शांत रहें। व्यय वृद्धि से तनाव रहेगा। अकारण झंझटों से दूर रहें। चोट व दुर्घटना आदि से हानि संभव है अतः वाहन चलाने में सावधानी रखें। आपके किसी कार्य में अवरोध आ सकता है। संतान पक्ष कुछ कष्ट देगा। रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है।

कन्या राशि – शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम है। जीवनसाथी के साथ मतभेद संभव है। बकाया वसूली होगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। फालतू खर्च होगा। विवाद न करें। नए मित्र बनेंगे। पुराना कोई विवाद दोबारा सामने

तुला राशि – धनागम की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम फलदायी व्यतीत होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से खुशी प्राप्त होगी। कुछ थकान व अस्वस्थता रहेगी। व्यवसायिक नई योजना लागू होगी। कार्यप्रणाली में सुधार तथा लाभ होगा। मित्रों का उत्तम सहयोग मिलेगा जीवनसाथी का शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान से सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक राशि – सप्ताह की शुरुआत में रुक-रुक कर कार्य होंगे। किंतु सप्ताह का दूसरा अर्धक उत्तम फलदाई है। माता-पिता के स्वास्थ का ध्यान रखें। यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल रहेंगे। नेत्र पीड़ा संभव है। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग उत्तम मिलेगा। विवादों से बचें।

धनु राशि – संतान के विवाह मामलों में जल्दबाजी न करें। गलत निर्णय आपको परेशानी दे सकता है। जोखिम भरे कार्य टालें। वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें। किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी। पैसे की आवक होगी किंतु व्यय भी अधिक होगा। कोई पुराना विवाद निबटेगा।

मकर राशि – जीवन साथी के साथ विवाद संभव है अतः बेवजह की उग्रता से बचें। गृहस्थी के मामले आपसी सहमति से हल होंगे। मांगलिक कार्य की बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी। राजनीतिक मामलों में आपका विरोध होगा। विवाद न करें। संतान पक्ष पीड़ित करेगी जीवनसाथी का सहयोग अच्छा रहेगा।

कुंभ राशि – आपको इस सप्ताह कोई विशेष निर्णय लेना होगा जिससे आगामी योजना को आधार मिलेगा। कोई रुका हुआ कार्य होगा धन की आवक बढ़ेगी मित्रों एवं संतान का सहयोग अच्छा मिलेगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। शरीर स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। संपत्ति के कार्य लाभ देंगे।

मीन राशि – क्रोध की अधिकता से आप अशांत रहेंगे पता जहां तक हो सके विवादों से बचें।शांति से काम करें। पिता से मतभेद समाप्त होंगे। नए कारोबार के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही निवेश करें। परिवार में किसी शुभ कार्य होने की संभावना है। परिवार में वातावरण अच्छा रहेगा।

श्रीमान उमेश पांडे
ज्योतिष एवं वास्तुविद
महात्मा गांधी मार्ग, मल्हारगंज, इंदौर (म.प्र.)
मो. 8602912030

इस सप्ताह की ग्रह स्थितियां

■ **सूर्य** – सिंह ■ **चंद्र** – मेष से कर्क ■ **मंगल**– मिथुन
■ **बुध**– सिंह आठ से कन्या में ■ **गुरु** - कर्क ■ **शुक्र** - कन्या से तुला
■ **शनि** – मीन ■ **राहु** – कुंभ ■ **केतु** - सिंह

फार्मर रजिस्ट्री का कार्य मिशन मोड पर करने के दिए निर्देश

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

बड़वानी। कलेक्टर जयति सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा सह अंतर्विभागीय समन्वय बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में सोमवार आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रगतिरत कार्यों, राजस्व प्रकरणों तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की समीक्षा

बैठक के दौरान कलेक्टर ने 29 अगस्त को सेंधवा के मोहनपड़ावा क्लस्टर अंतर्गत 13 ग्रामों में आयोजित शिविर के कार्यों की ग्रामवार समीक्षा की। उन्होंने शेष बचे कार्यों को आगामी 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी अधिकारियों को परस्पर समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि प्राप्त आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित हो सके। इस दौरान 29 अगस्त को ग्राम पंचायत डोंगरगांव में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन पर कलेक्टर द्वारा नोडल अधिकारी एवं उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री रोनक सोलंकी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया

राजस्व एवं कृषि कार्य

कलेक्टर ने 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहे सीसीआई द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास खरीदी हेतु किसानों के पंजीयन प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व विभाग को गिरदावरी कार्य शीघ्र पूर्ण करने, पीएम-किसान ई-केवाईसी में सुधार लाने तथा फार्मर रजिस्ट्री को मिशन मोड में बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, आरसीएमएस पोर्टल पर नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए इन्हें तय समय-सीमा में निराकृत करने हेतु निर्देशित किया।

स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग

बैठक में बड़वानी, निवाली एवं सेंधवा क्षेत्रों में माइक्रो-प्लानिंग कर टीबी स्क्रीनिंग अभियान चलाने तथा कुष्ठ रोग नियंत्रण हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग को आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों का नियमित वजन कर सटीक डाटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

शिक्षा विभाग व मध्याह्न भोजन

विद्यार्थियों की अपार आईडी निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पात्र विद्यार्थियों को साइकिल वितरण (शेष प्रकरणों में) तथा पाठ्यपुस्तकों का शत-प्रतिशत वितरण समय पर सुनिश्चित करने को कहा गया। कलेक्टर ने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए।

अन्य योजनाएं एवं वन अधिकार पट्टे

बैठक में वन अधिकार पट्टों के प्रकरणों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम आवास योजना तथा आजीविका मिशन, उद्यानिकी व स्वास्थ्य विभाग के अन्य घटकों की विस्तृत समीक्षा कर लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान विशेष रूप से राजपुर क्षेत्र की शिकायतों के त्वरित निराकरण पर ध्यान केंद्रित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में नवागत जिला पंचायत सीईओ अर्पित गुप्ता, अपर कलेक्टर हेमलता सोलंकी, संयुक्त कलेक्टर रवि वर्मा, एसडीएम बड़वानी भूपेंद्र रावत सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्यक्ष एवं अन्य मैदानी अधिकारी वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।

राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम में जगह को लेकर बीजेपी-कांग्रेस में जुबानी जंग

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इंदौर दौरे से पहले जगह को लेकर जंग चल रही है। कांग्रेस नेहरू स्टेडियम मांग रही है, लेकिन इस पर असमंजस कायम है। बीजेपी जगह को लेकर कांग्रेस को घेर रही है।

राहुल गांधी का देश में पांचवां छात्रों की गूंज कार्यक्रम इंदौर में होने जा रहा है। इसके लिए वे 12 सितंबर की शाम इंदौर पहुंचेंगे। कांग्रेस ने कार्यक्रम के लिए इंदौर नगर निगम से पांच दिन के लिए नेहरु स्टेडियम मांगा है। पार्टी यहां करीब 50 हजार युवाओं (जेन Z) को जुटाने की तैयारी कर रही है। वहीं, कार्यक्रम की जगह को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि नेहरू स्टेडियम में सिर्फ खेल और सरकारी कार्यक्रम हो सकते हैं, राजनीतिक आयोजन नहीं। दूसरी ओर, कांग्रेस बीजेपी के पुराने आयोजनों का हवाला देते हुए सवाल उठा रही है कि जब वहां बीजेपी के कार्यक्रम हो सकते हैं तो कांग्रेस के आयोजन पर आपत्ति क्यों है।

जगह को लेकर इस तरह चल रही है जुबानी जंग

महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि राजनीतिक दल को आयोजन के अधिकार हैं, लेकिन जो वह संख्या का दावा कर रहे हैं, उसके लिए बड़े मैदान को लेना होगा। स्टेडियम छोटा पड़ेगा। एमपी हाईकोर्ट के आदेश से खेल और शासकीय आयोजन हो सकते हैं। निगम नियम देख रहा है।

निगमायुक्त आईएएस क्षितिज सिंघल ने बताया कि स्टेडियम के लिए आवेदन आया है। इसका हाईकोर्ट के आदेश के तारतम्य में परीक्षण किया जाएगा।

कांग्रेस के शहराध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि अगर राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिली तो कांग्रेस ईंट से ईंट बजा देगी। उन्होंने कहा कि एमपी बीजेपी को राहुल गांधी से फोबिया हो गया है। युवा वर्ग राहुल गांधी से सीधा संवाद करना चाहता है और बीजेपी हर हाल में रोकना चाहती है। जबकि बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम में कई राजनीतिक कार्यक्रम किए हैं, तो कांग्रेस के इस गैर-राजनीतिक कार्यक्रम पर आपत्ति क्यों की जा रही है?

कांग्रेस जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े का कहना है कि बीजेपी बोल रही है कि यहां 50 हजार नहीं आ सकते हैं, तो फिर दिसंबर 2021 में यहां शिवराज सरकार के समय के आयोजन में सवा लाख आदिवासी युवाओं का आयोजन कैसे हो गया। यह खुद बीजेपी का दावा था।

इंदौर बीजेपी नगराध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि आयोजन की जगह ढूंढने में कांग्रेस की नींद उड़ गई है, जो दावा 50 हजार का हो रहा है, इसके लिए फिर कांग्रेस सुपर कॉरिडोर पर आयोजन करे। वंदेमातरम, सनातन धर्म का विरोध करने वाले राहुल गांधी के आयोजन में कितने युवा आएंगे? दो-तीन हजार युवा आ रहे हों तो दशहरा मैदान पर कर सकते हैं।

कांग्रेस के बैकअप प्लान बी और सी

उधर कांग्रेस ने जगह को लेकर आ रही समस्याओं को देखते हुए बैकअप प्लान बी और सी भी रखा है। बी प्लान के तहत रीजनल पार्क के सामने की जगह को तय ा गया है। वहीं सी प्लान के तहत खंडवा रोड र समंदर पटेल की जमीन को चिन्हित किया गया है।

ये दोनों ही एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की विधानसभा राऊ में आते हैं। यह जगह भंवरकुआं चौराहे के पास है, जो छात्रों की सर्वाधिक बसाहट वाला एरिया है।

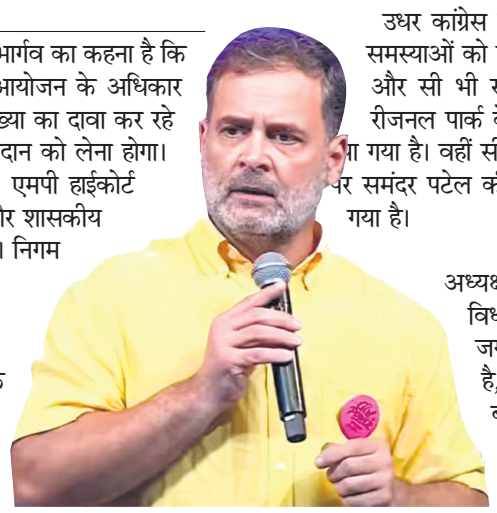

देश की वीर बेटी का अपमान करने वालों को संरक्षण क्यों?

कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन के प्रस्ताव पर पुनर्विचार एवं उचित कार्रवाई की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायकद्वय आरिफ मसूद एवं सुरेश राजे ने राज्यपाल महोदय से मुलाकात की। कांग्रेस की स्पष्ट मांग है कि दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली भाजपा के शासन में देश की वीर बेटी और भारतीय सेना का अपमान करने वालों को संरक्षण क्यों? कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान सिर्फ एक महिला का नहीं, बल्कि भारतीय सेना, नारी सम्मान और पूरे देश का अपमान है। देश के गौरव का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण नहीं, कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए।

कलेक्टर कार्यालय के रिटायर्ड कर्मचारी के घर 15 दिन से बिजली नहीं

महिला ने लगाई गुहार तो कलेक्टर ने मंजूर किए 40000 रुपए

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

कलेक्टर कार्यालय के सेवानिवृत होकर दिवंगत हो चुके कर्मचारी के घर पर पिछले 15 दिन से बिजली नहीं है। बिजली के बिल का भुगतान नहीं किए जाने के कारण बिजली कंपनी के द्वारा बिजली काट दी गई है। इस मामले में कर्मचारी की पत्नी के द्वारा गुहार लगाई जाने पर कलेक्टर ने 40000 रु. की आर्थिक सहायता मंजूर की है।

यह पूरी घटना कलेक्टर शिवम वर्मा की इंसानियत को बयां करती है। कलेक्टर कार्यालय में गरीब परिवार की एक महिला मानिक बाग रोड निवासी छाया कदम अपनी बेटी वर्षा के साथ कलेक्टर से मिलने आई और उसने कहा कि उसके पिताजी यहां पर अपर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े की गाड़ी चलाते थे। उनका निधन हो गया। अब परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। वह घर का बिजली का बिल भी नहीं भर पा रही हैं। बिजली का बिल 48000 रु. बकाया हो जाने पर उनके घर की बिजली 15 दिन से काट दी गई है। महिला ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। कलेक्टर ने यह कहते हुए वर्षा को किसी भी तरह की मदद करने से मना कर दिया की बिजली के बिल के लिए किसी तरह की मदद नहीं कर सकते हैं।

कलेक्टर ने वर्षा को मना तो कर दिया लेकिन उनका मन नहीं माना। उन्हें शाम को जब यह याद आया तो उन्होंने अपने पीए को फोन लगाकर कहा कि भले ही बिजली के बिल के लिए उस महिला की मदद नहीं कर सकते लेकिन किसी दूसरे रूप में उस महिला की मदद कर दीजिए। जिला कलेक्टर का निर्देश पाते ही महिला की मदद करने की कार्यवाही प्रारंभ हो गई और महिला को रेड क्रॉस से 40000 रु. की मदद मंजूर की गई। वैसे भी कलेक्टर के पास आर्थिक रूप से मदद मांगने के लिए आने वाले लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में तो इस तरह के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। किसी को शिक्षा के लिए पैसा चाहिए होता है तो किसी को इलाज के लिए पैसा चाहिए होता है। वैसे यह पहला मौका था जब कोई बिजली का बिल भरने के लिए कलेक्टर से मदद मांगने पहुंचा था।

भारत सरकार ला रही है स्वच्छता की मॉडल सिटी

देशभर के इंदौर सहित 50 शहरों को मॉडल सिटी की सूची में किया शामिल

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता की मॉडल सिटी का नया कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। इसके लिए सरकार के द्वारा प्राथमिक तौर पर बनाई गई योजना में इंदौर सहित 50 शहरों को मॉडल सिटी के रूप में लिया जा रहा है।

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अगले चरण में किए जाने वाले कामों को लेकर गत दिवस दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह के द्वारा ली गई। इस बैठक में देश के सभी प्रमुख शहरों के नगर निगम के कमिश्नर को बुलवाया गया था। इस बैठक में इंदौर नगर निगम की ओर से आयुक्त क्षितिज सिंघल ने भाग लिया।

इस बैठक के पहले इंदौर सहित देश के सभी प्रमुख शहरों से यह सुझाव मांगा गया था कि स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में क्या किया जाना चाहिए। विभिन्न शहरों के द्वारा दिए गए सुझाव का प्रशिक्षण मंत्रालय के द्वारा कर लिया गया था। इस परीक्षण के पश्चात इस बैठक में प्रमुख सुझाव पर चर्चा की गई। इस चर्चा में यह फैसला लिया गया कि अब स्वच्छ भारत मिशन में देश में मॉडल सिटी बनाए जाएंगे। इसका अंतर्गत इंदौर सहित 50 शहरों को मॉडल सिटी के रूप में चयनित किया जाएगा। यह सारे शहर स्वच्छता के लिए देश में रोल मॉडल के रूप में काम करेंगे। इन शहरों से दूसरे शहर शिक्षक और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। बैठक में मॉडल सिटी के लिए बनाए जाने वाले नियमों पर भी चर्चा हुई। आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि इंदौर के द्वारा जिन क्षेत्रों में स्वच्छता में जो काम किया गया है उस काम को हमारे द्वारा शोकेस किया गया। उन सारे कामों को ही मॉडल सिटी के पैरामीटर के रूप में लिया जा रहा है। अभी स्वच्छता में संबंधित शहर में स्वच्छ पेयजल की सप्लाई के मुद्दे को शामिल नहीं किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जोर ऑन द स्पॉट कचरे के सेग्रीगेशन और फिर उसके बाद उसके निष्पादन पर ही है।

स्वच्छ शहर लीग भी बना चुके हैं

भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता का सर्वेक्षण शुरू करने के बाद 2023 में गोल्डन सिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसके बाद फिर 2024 में स्वच्छ शहर लीग बनाने का काम किया गया। अभी तक यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण का परिणाम आने के पहले अब आने वाले समय के लिए योजना बनाने का काम शुरू हो गया है।

9500 शहर ने इंदौर से लिया ज्ञान

इस बैठक में इंदौर की ओर से बताया गया कि अब तक देश के विभिन्न राज्यों के 9500 शहर इंदौर में स्वच्छता देखने और सीखने के लिए आ चुके हैं। सीधे तौर पर कहे तो इन शहरों के द्वारा इंदौर से ज्ञान लिया गया है। इस ज्ञान का उपयोग इन सभी शहरों के द्वारा अपने शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर बनाने में किया गया है। इन सभी शहरों में इस ज्ञान के परिणाम स्वरुप आया हुआ अंतर अब स्पष्ट नजर आता है।

तीन शहरों में किया है काम

इंदौर नगर निगम के द्वारा इंदौर के अलावा तीन शहरों में जाकर काम किया गया है। इसमें सीधा तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में स्वच्छता के हालात बदलने में इंदौर में मुख्य भूमिका का निर्वहन किया है।

बड़ा बांगड़दा व नैनोद की निगम की मल्टियों में उखड़ गया प्लास्टर

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर इंदौर नगर निगम के द्वारा बड़ा बांगडदा का और नैनोद में बनाई गई बहु मंजिला इमारत में प्लास्टर उखड़ गया है। इसके कारण इन बिल्डिंगों में रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं और नगर निगम से बिल्डिंग की मरम्मत किए जाने की मांग कर रहे हैं।

केंद्र सरकार की जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के तहत इंदौर नगर निगम के द्वारा इन दोनों क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। इस निर्माण की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण अब इन बिल्डिंग में स्थित 2000 से ज्यादा फ्लैट में रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। जब निगम के द्वारा यह बिल्डिंग बनाई गई थी तो इसमें 800 फ्लैट तो निगम के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दिए गए थे। इसके अलावा सड़क पर कचरा बिनने वाले लोगों को 600 फ्लैट दिए गए थे। इसके अतिरिक्त करीब 700 फ्लैट गरीब नागरिकों को आवंटित किए गए थे। यह सभी लोग अभी में इमारत में ही रह रहे हैं। अब इमारत की स्थिति खराब हो गई है। इन इमारत में जगह-जगह प्लास्टर उखड़ने लगे हैं। इसके साथ ही लोगों को भवन में सुरक्षित तरीके से रहने में समस्या आने लगी है।

इस स्थिति की शिकायत इन इमारत में रहने वाले लोगों के द्वारा इंदौर नगर निगम में की गई है। यह शिकायत करते हुए इन नागरिकों के द्वारा यह मांग की गई है कि नगर निगम के द्वारा इन इमारत का मेंटेनेंस किया जाए। मरम्मत करते हुए नगर निगम इन इमारत के फ्लैट में आ रही समस्याओं का समाधान करें।

नहीं है कोई प्रावधान

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के तहत गरीब वर्ग के लिए निर्मित की गई इन इमारत के मरम्मत करने के लिए नगर निगम के पास कोई प्रावधान ही नहीं है। वैसे भी नगर निगम जहां भी इमारत बनाता है तो वहां इमारत बनाने और उसके फ्लैट आवंटित करने के बाद उसमें कहीं कोई रुचि नहीं लेता है। जिन इमारत में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधा नहीं होती है तो वहां पर यह सुविधा जरूर उपलब्ध करवाता है।

संशय में पड़ गए अधिकारी

और लोगों के द्वारा की जा रही मरम्मत की मांग के बाद निगम के अधिकारी संशय में पड़ गए हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इन समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाए। इन अधिकारियों के द्वारा वर्तमान में लाइटहाउस प्रोजेक्ट में आ रही शिकायतों का समाधान करने के लिए तो पहल की जा रही है क्योंकि यह इमारत वर्तमान में प्रचलित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ही निर्मित की गई है।

सैकड़ों निगम कर्मियों के तबादले की तैयारी शुरू

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर नगर निगम में सैकड़ो कर्मचारियों के तबादला के लिए तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए हर कर्मचारी से उसकी पदस्थापना से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है। सभी कर्मचारियों को एक फॉर्मेट भरने के लिए दिया गया है।

हर कर्मचारी से एकत्र की जा रही है उसकी पद स्थापना की जानकारी

नगर निगम में जो कर्मचारी जिस स्थान पर जाकर सेट हो जाता है वह उस स्थान से हटना पसंद नहीं करता है। कई कर्मचारी तो एक बार की अपनी पद स्थापना के बाद करीब करीब पूरी नौकरी ही उस स्थान पर पदस्थ रहते हुए पूरी कर लेते हैं।

पिछले दिनों नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के पास लगातार यह शिकायत पहुंची है की कर्मचारी एक ही स्थान पर बहुत सालों से तैनात है। इस स्थिति के चलते हुए कर्मचारियों के द्वारा मनमानी की जा रही है। जायज और नियम के अनुसार किए जाने वाले काम भी कर्मचारी के द्वारा नहीं किया जा रहे हैं। इस तरह की शिकायतों के चलते हुए आयुक्त के द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को देखने वाले नगर निगम के विभाग के हर वार्ड के कर्मचारियों को बदल दिया गया था। इस आदेश से नगर निगम में हड़कंप मचा था। फेर बदल के बाद इस विभाग से आने वाली शिकायतों में कमी आ गई है। ऐसी स्थिति में आयुक्त के द्वारा अब सभी विभागों में इस तरह का ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही है।

निगम के अपर आयुक्त मनोज कुमार पाठक के द्वारा निगम के विभिन्न विभाग तथा जोनल कार्यालय में तैनात सभी कर्मचारियों के पास एक फॉर्मेट भेजा गया है। इस फॉर्मेट में कर्मचारियों से उसके नाम और नगर निगम में नौकरी ज्वाइन करने की तारीख की जानकारी लेने के साथ ही वर्तमान पदस्थापना की जानकारी मांगी गई है। कर्मचारी से यह भी पूछा गया है कि वह वर्तमान पद स्थापना में कब से कम कर रहा है। सभी कर्मचारियों से मांगी गई इस जानकारी के आने के बाद अब निगम में सैकड़ो कर्मचारियों का तबादला करने की तैयारी शुरू की गई है एक ही विभाग में एक ही स्थान पर काम कर रहे होंगे तो अब उन कर्मचारियों में बदलाव किया जाएगा।

प्रकाशक एवं मुद्रक गौरव गुप्ता द्वारा स्वामी अशर्फीलाल विमलादेवी मीडिया सर्विसेस प्रा.लि. के लिए डी. बी. कॉर्प लि., 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एक, इंडस्ट्रियल एरिया, सांवेर रोड इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 401-402, डी.एम. टॉवर जंजीरवाला चौराहा, इंदौर 452001 से प्रकाशित। संपादक- गौरव गुप्ता, कार्यकारी संपादक-जितेंद्र जाखेटिया*। फोन नंबर-0731-4032200, आर.एन.आई. नं. MPHIN/2013/52898* समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार।